न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– अनील कुमार आर. ए. एस.

दायरा दिनांक –01.09.2015

क्रमांक :–70 / 2015

लूणी बैवाह मदनलाल उर्फ मदनचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी बीदासर।

लाल पुत्र स्व. मदनलाल उर्फ मदनचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी बीदासर।

श प्रसाद स्व. मदनलाल उर्फ मदनचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी बीदासर। .....वादीगण

बनाम

ती शान्ति देवी पत्नी श्री हुकमाराम जाति प्रजापत निवासी बीदासर।

राम दत्तक पुत्र श्री भंवरी देवी पत्नी नेमीचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी बीदासर।

नचन्द पुत्र लादूराम जाति ब्राहम्ण (दायमा) निवासी बीदासर।

ती केशर देवी पुत्री लाधुराम पत्नी ओमप्रकाश पुजारी निवासी सालासर।

कमणी पत्नी स्व. झूमरमल जाति ब्राहम्ण (दायमा) निवासी बीदासर।

जरंगलाल पुत्र स्व. झूमरमल जाति ब्राहम्ण (दायमा) निवासी बीदासर ।

ोमप्रकाश पुत्र स्व. झूमरमल जाति ब्राहम्ण (दायमा) निवासी बीदासर ।

ोसतनमल पुत्र स्व. झूमरमल जाति ब्राहम्ण (दायमा) निवासी बीदासर ।

राजकुमार पुत्र स्व. झूमरमल जाति ब्राहम्ण (दायमा) निवासी बीदासर।

रती देवी पुत्री स्व. झूमरमल जाति ब्राहम्ण (दायमा) निवासी बीदासर।

लक्ष्मीनारायण पुत्र मालचन्द जाति ब्राहम्ण (दायमा) निवासी बीदासर।

महवीर प्रसाद पुत्र मालचन्द जाति ब्राहमण (दायमा) निवासी बीदासर।

श्रीमती पुष्पा पत्नी रामनिवास जाति ब्राहमण निवासी राजलदेसर द्वारा श्री पंड़ित पूनमचन्द दाधीच।

बृजेश पुत्र रामनिवास जाति ब्राहमण निवासी राजलदेसर द्वारा श्री पंड़ित पूनमचन्द।

प्रवीण पुत्र रामनिवास जाति ब्राहमण निवासी राजलदेसर द्वारा श्री पंड़ित पूनमचन्द।

न्टू पुत्री रामनिवास पत्नी श्री संजीव पूजारी जाति ब्राहमण निवासी सालासर।

श्रीमती हुलासी पुत्री मालचन्द पत्नी श्री रघुनाथ आसोपा जाति ब्राहमण निवासी आडसर बास श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

श्रीमती किशनी देवी पुत्री मालचन्द पत्नी श्री सुरजमल दायमा जाति ब्राहमण निवासी साण्डवा तहसील सुजानगढ़।

श्रीमती शान्ति देवी पुत्री मालचन्द पत्नी श्री भंवरलाल सूंठवाल जाति ब्राहमण निवासी ब्राहमणे का मौहल्ला कस्बा छापर।

श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री मालचन्द पत्नी स्व. शंकरलाल आसोपा जाति ब्राहमण निवासी ब्राहमणो का बास श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

शंकरलाल पुत्र स्व. हनुमानमल जाति ब्राहमण दायमा निवासी बीदासर।

कैलाश पुत्र स्व. हनुमानमल जाति ब्राहमण दायमा निवासी बीदासर।

मुकेश पुत्र स्व. हनुमानमल जाति ब्राहमण दायमा निवासी बीदासर।

श्रीमती शारदा देवी पुत्री स्व.हनुमानमल पत्नी श्री राजकुमार रतावा जाति ब्राहमण निवासी रतावा पोल कस्बा छापर।

कमला देवी पुत्री स्व. हनुमानमल पत्नी श्री सुरेश पुजारी जाति ब्राहमण निवासी ग्राम सालासर।

श्रीमती अम्बिका पुत्री स्व. हनुमानमल पत्नी श्री दिनेश ओझा जाति ब्राहमण द्वारा स्व. सुन्दरलाल ओझा निवासी हनुमानजी के मन्दिर के पास गोगागेट बीकानेर।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

ति ब्राह्मण निवासी बीदासर।

ति ब्राह्मण निवासी बीदासर।

ीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बीदासर।

ीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बीदासर।

ल जाति ब्राह्मण निवासी पोस्ट ऑफिस के पास दड़िबा बीदासर।

ल जाति ब्राह्मण निवासी पोस्ट ऑफिस के पास दड़िबा बीदासर।

ी मांगीलाल पत्नी श्री सत्यनारायण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी अशोक स्तम्भ के पास कस्बा छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।

ी मांगीलाल पत्नी श्री मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी दायमो का बास साण्डवा तहसील बीदासर ।

ी मांगीलाल पत्नी श्री मदनलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मन्दिर के पास ग्राम सोनियासर तहसील बीदासर।

ीलाल पत्नी श्री हेमराज पुजारी जाति ब्राह्मण निवासी सालासर।

ीलाल पत्नी श्री प्रकाश पुजारी जाति ब्राह्मण निवासी सालासर।

देवी पुत्री श्रीचन्द पत्नी श्री चिमनीराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी गणेश मन्दिर के पास कस्बा छापर जिला चूरू।

हरी देवी पुत्री श्रीचन्द पत्नी श्री जगदीष शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी जसवंतगढ़ तहसील लाडनू जिला नागौर।

रामेश्वरलाल जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी कुम्हारान तहसील बीदासर।

ी देवी पुत्री रामेश्वरलाल पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी चैताखेड़ी बास कस्बा छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।

न देवी पुत्री रामेश्वरलाल पत्नी श्री बजरंगलाल जाति ब्राह्मण निवासी दायमो का बास साण्डवा।

ीता पुत्री रामेश्वरलाल पत्नी श्री चैनरुप शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी भामूओ का बास ग्राम ढढेरू तहसील बीदासर।

रामकन्या पुत्री रामेश्वरलाल पत्नी श्री शंकरलाल षर्मा जाति ब्राह्मण निवासी दायमो का बास साण्डवा।

शान्ति पुत्री रामेश्वरलाल पत्नी श्री नन्दलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ब्राहमणो का बास ग्राम रताऊ तहसील लाडनू जिला नागौर।

प्रतिवादीगण

धन सरकार जरिये तहसीलदार, बीदासर।

दावा घोषणात्मक, रेकार्ड दूरूस्ती, विभाजन व चिर निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु।

1 श्री नरेश कुमार सोनी व मोहम्मद शाहिद एडवोकेट्स वादी की और से

2 पेरोकार राज. सरकार की और से

दिनांक –07.10.2016

संशोधित निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा इस न्यायालय मे घोषणात्मक, रेकार्ड दूरूस्ती व विभाजन बाबत कृषि भूमि के अनुतोषो दावा प्रस्तुत किया गया।

यह कि रोही मौजा दडिबा तहसील सुजानगढ़ वर्तमान तहसील बीदासर मे वादीगण के पूर्वज स्व. उत्तमाराम के कब्जा काश्त एवं खातेदारी के खेत खसराजात के स्थित है उक्त खसराजात की कृषि भूमि को मुकदमा हाजा मे आगे वादगत कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है :–

साबिका खसरा नं.	वर्तमान ख.नं.	रकबा
1256	219	16 बीघा 8 बिश्वा
112	220	19 बीघा 17 बिश्वा
	221	38 बीघा 15 बिश्वा
	222	06 बीघा 16 बिश्वा

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

यह कि उपरोक्त वर्णित खसराजात की कृषि भूमि मुस्तिरका तीन हिस्से की रही है जिसमे 1/3 हिस्सा स्व. उत्तमाराम वर्तमान हिस्सेदार वादीगण है और 1/3 हिस्सा स्व. गोपालराम के परिवार का व 1/3 हिस्सा मु. कुशली बैवाह अन्नाराम का रहा है, वादीगण के पूर्वज स्व. उत्तमाराम के दो लडके स्व. लालूराम उर्फ लादूराम व स्व. कानाराम हुवे जिनमे से स्व. कानाराम उर्फ कन्नीराम अविवाहित लाऔलाद फौत हो चुके है तथा स्व. लालूराम के दो लडके स्व. मदनलाल उर्फ मदनचन्द व स्व. मानाराम हुवे जिनमे से स्व. मानाराम व उनकी पत्नी श्रीमती जीवणी देवी का स्वर्गवास भी बिना किसी वारिसान के निर्वसियती हो चुका है तथा वादीगण स्व. मदनलाल उर्फ मदनचन्द के वारिसारन है इस प्रकार स्व. उत्तमाराम के 1/3 हिस्से की भूमि के मालिक एवं काबिज काश्तकार वादीगण है, वादीगण एवं उसके परिवार के 1/3 हिस्से की कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि वर्तमान खेत खसरा नम्बर 219 रकबा 16 बीघा 8 बिश्वा व खसरा नम्बर 220 रकबा 19 बीघा 17 बिश्वा कुल 2 दो किता खेत कुल रकबा 36 बीघा 5 बिश्वा रोही मौजा दडिबा की कृषि भूमि रही है एवं स्व. गोपालराम के वारिसान के कब्जा काश्त मे वर्तमान खसरा नम्बर 222 रकबा 6 बीघा 16 बिश्वा खसरा नम्बर 223 रकबा 3 बीघा 5 बिश्वा व खसरा नम्बर 224 रकबा 8 बीघा 10 बिश्वा व खसरा नम्बर 225 रकबा 18 बीघा 17 बिश्वा कुल 4 किता खेत कुल रकबा 37 बीघा 8 बिश्वा की भूमि रही है एवं स्व. कुशली बैवाह अन्नाराम के कब्जा काश्त का खेत खसरा नम्बर 221 रकबा 38 बीघा 15 बिश्वा की भूमि रही है।

यह कि उक्त श्रीमती कुशली बैवाह अन्नाराम के स्वर्गवास के पश्चात उसके परिवार मे एकमात्र वारिस उसकी पुत्र वधु आसी बैवाह चुन्नीलाल जात ब्राहम्ण (दायमा) साकिन बीदासर रही है उक्त आसी ने अपनी सास श्रीमती कुशली बैवाह अन्नाराम के हिस्से पांति एवं कब्जा काश्त के खेत साबिका खसरा नम्बर 1256 रकबा 112 बीघा 8 बिश्वा की भूमि मे से वर्तमान खसरा नम्बर 221 रकबा 38 बीघा 15 बिश्वा की भूमि का एक पंजीकृत बैनामा संख्या 641 दिनांक 11.12.1962 को कार्यालय सब रजिस्ट्रार सुजानगढ़ के समक्ष जगन्नाथ, लक्ष्मीनारायण, सीताराम, सालीगराम पि. चुन्नीलाल व शंकरलाल दत्तक पुत्र सोहनलाल जात महेश्वरी (लोहिया) साकिन दडिबा के पक्ष मे निष्पादित कर उक्त आराजी का बैचान कर दिया, उक्त खेत खसरा नम्बर 221 रकबा 38 बीघा 15 बिश्वा रोही मौजा दडिबा की भूमि क्रय करने के पश्चात जगन्नाथ आदि लोहिया ने उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम से दर्ज करवाने के लिये एक प्रार्थना_पत्र दिनांकित 17.06.1965 को श्रीमान् ए.एस.ओ. साहब सुजानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया जिसकी मिसल नम्बर 538 दिनांकित 17.06.1965 कायम की गई एवं उक्त मिसल पर नोट अंकित किया गया कि "कुशली मर गई उसकी बहू मुस्मात आसी उपस्थित है और खसरा नम्बर 221 विक्रय करके रजिस्ट्री करा कर कब्जा दे चूकी है मौतवीर तस्दीक करते है उक्त खेत खसरा नम्बर 221 रकबा 38 बीघा 15 बिश्वा को प्रार्थियो के हि.ब.दर्ज हो अमल दरामद किया जावे, इस प्रकार से उक्त स्व. कुशली बैवाह अन्नाराम उर्फ उमाराम का हिस्सा उसकी पुत्र वधू आसी बैवाह चुन्नीलाल द्वारा रजिस्ट्री बैचान के माध्यम से जगन्नाथ आदि लोहिया को वर्तमान खसरा नम्बर 221 विक्रय किया जा चुका था एवं उक्त वादगत खसराजात से उक्त श्रीमती कुशली का नाम हटाया जाकर केतागण जगन्नाथ आदि के नाम से उक्त खसरे की खातेदारी दर्ज की जानी चाहिये थी परन्तु राजस्व कर्मचारियो की भूलवश जब दिनांक 25.08.1966 को तरमीम पर्चा तैयार किया गया तब कुशली के बजाय मानाराम का नाम खारिज करके जगन्नाथ आदि का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये जो कि एवं अवैध अंकन था इस कारण वादगत खेतो की खातेदारी से खसरा नम्बर 221 दो सौ इक्कीस को हटाकर उक्त जगन्नाथ आदि के नाम दर्ज कर दिया गया परन्तु शेष खसराजात की भूमि की खातेदारी मे कुशली बैवाह अन्नाराम उर्फ उमाराम का नाम गलती से चलता रहा है जिसका ज्ञान वादीगण को नही हो सका।

यह कि इस प्रकार से वर्तमान खेत खसरा नम्बर 219 रकबा 16 बीघा 8 बिश्वा व खसरा नम्बर 220 रकबा 19 बीघा 17 बिश्वा व खसरा नम्बर 222 रकबा 6 बीघा 16 बिश्वा खसरा नम्बर 223 रकबा 3 बीघा 5 बिश्वा व खसरा नम्बर 224 रकबा 8 बीघा 10 बिश्वा व खसरा नम्बर 225 रकबा 18 बीघा 17 बिश्वा कुल 6 किता खेत कुल रकबा 73 बीघा 13 बिश्वा की खातेदारी मे कुशली बैवाह अन्नाराम उर्फ उमाराम का नाम गलत दर्ज है उक्त अंकन प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है जिसको हटाया जाकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड को दूरूस्त करवाने की घोषणा करवाने के वादीगण अधिकारी है तथा स्वर्गीय कानाराम उर्फ कन्नीराम पुत्र उत्तमाराम व जीवणी बैवाह मानाराम की मृत्यु के पश्चात वादगत खेतो की खातेदारी मे वादीगण का 1/2 हिस्सा कायम किया जाकर 36 बीघा 16.5 बिश्वा भूमि की खातेदारी वादीगण अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है व वर्तमान खातेदारी मे 1/2 हिस्सा वादीगण का 1/2 हिस्सा स्वर्गीय गोपालराम के वारिसान का है, वर्तमान मे वादीगण ने जब राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित नकले हासिल की तो वादीगण को उक्त गलत खातेदारी के अंकन का ज्ञान हुआ तब वादीगण ने प्रतिवादीगण को वर्तमान राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करवाने का निवेदन किया तो दिनांक 23.04.2015 को प्रतिवादीगण इन्कार हो गये तब वादीगण ने तहसीलदार महोदय, बीदासर से सम्पर्क

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

है यदि वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया गया तो वादीगण का वाद प्रस्तुत करने का मकसद ही समाप्त हो जावेगा व अपूर्णीय क्षति होगी इस कारण धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस से छूट लेकर यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है, वादीगण वादगत कृषि भूमि के खातेदार वादगत भूमि का वर्तमान राजस्व रेकार्ड गलत दर्ज किया गया है जिसको दुरूस्त करवाने का वादीगण कानूनी अधिकार रखते है जिससे वादीगण को प्राप्त है एवं वादीगण का प्रथम दृष्टया सारवान मामला बनता है तथा सुविधा का सन्तुलन भी वादीगण के पक्ष मे है उपरोक्त वाद पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की गई कि कि घोषित किया जावे कि साबिका खेत खसरा नम्बर 1256 रकबा 112 बीघा 8 बिश्वा के वर्तमान खेत खसरा नम्बर 219 रकबा 16 बिश्वा व खसरा नम्बर 220 रकबा 19 बीघा 17 बिश्वा व खसरा नम्बर 222 रकबा 6 बीघा 16 बिश्वा खसरा नम्बर 223 रकबा 3 बीघा 5 बिश्वा व खसरा नम्बर 8 बीघा 10 बिश्वा व खसरा नम्बर 225 रकबा 18 बीघा 17 बिश्वा कुल 6 किता खेत कुल रकबा 73 बीघा 13 बिश्वा रोही मौजा दडेबा तहसील बीदासर खातेदारी मे मु. कुशली बैवाह अन्नाराम का नाम गलत दर्ज है उक्त कुशली का नाम वादगत खेतो के वर्तमान राजस्व रेकार्ड से हटवाकर वादगत खेतो खातेदारी मे 1/2 हिस्सेदार के रुप मे वादीगण अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है कि उपरोक्त वर्णित खसराजात की भूमि का विभाजन किया वादगत खेत खसरा नम्बर 219 रकबा 16 बीघा 8 बिश्वा व खसरा नम्बर 220 रकबा 19 बीघा 17 बिश्वा रोही मौजा दडिबा तहसील बीदासर कुल 2 किता खेत 36 बीघा 5 बिश्वा की खातेदारी वादीगण के नाम से अलग दर्ज की जाकर अलग लगान कायम किये जाने बाबत आदेश तहसीलदार महोदय, बीदासर को जावे कि प्रतिवादीगण को जरिये चिर निशेधाज्ञा के वर्जित किया जावे कि वादगत खेत खसरा नम्बर 219 रकबा 16 बीघा 8 बिश्वा व खसरा नम्बर 220 बीस 9 बीघा 17 बिश्वा कुल 2 किता खेत कुल रकबा 36 बीघा 5 बिश्वा रोही मौजा दडिबा तहसील बीदासर से वादीगण को जबरन बेदखन नही करे, कब्जा–काष्त, –उपभोग मे बाधा नही करे, वादीगण को प्रवेश करने, काश्त करने से रोके नही स्वयं प्रवेश नही करे, विक्रय, बंधक, हस्तांतरण नही करे एवं ऐसा कोई कृत्य नही करे जिससे वादीगण के हितो पर किसी भी प्रकार से विपरीत असर पड़े कि खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलवाये कि अन्य कोई उचित सहायता जो हितकर वादीगण को अता फरमावे।

उपरोक्त दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। बावजूद तामील के प्रतिवादी सख्या 3 के अलावा अन्य कोई प्रतिवादी ना तो न्यायालय मे उपस्थित हुआ और ना ही किसी प्रकार की जवाबदेही प्रस्तुत की। इस कारण प्रतिवादी सख्या 3 के अलावा अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध कार्यवाही की अमल में लाई जाकर वाद का विचारण आगे प्रारम्भ किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 भीकमचन्द की और से श्री आमीन शेख ने वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब प्रस्तुत किया, व अपने जवाब दावा में वादगत तथ्यों से इन्कार नहीं किया तथा उक्त प्रतिवादी ने अपने व केशरदेवी पुत्री लादुराम का 1/8 हिस्सा के विभाजन प्रार्थना की। परन्तु उक्त प्रतिवादीगण ने किसी भी प्रकार का मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया ना ही अपने जवाब दावा मे प्रार्थना गये विभाजन के अनुतोश के लिये कोई प्रतिदावा प्रस्तुत किया एवं वादीगण के अभिवचनो के विरूद्ध किसी प्रकार के अभिवचन प्रस्तुत नही किये इस कारण गण द्वारा प्रस्तुत अभिवचनो को नही मानने का कोई कारण पत्रावली पर प्रस्तुत नही हुआ।

वादीगण की और से अपने वाद के समर्थन मे बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह संख्या 1 जगदीश प्रसाद, गवाह संख्या 2 बजरंगलाल, गवाह रांख्या 3 टिकमचन्द के पत्र बतौर मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये जिनसे किसी प्रकार की प्रतिरक्षा प्रतिवादीगण द्वारा नही की गई वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 त नकल जमाबंदी सम्वत् 2069–2072, प्रदर्ष 2 प्रार्थना पत्र ए.एस.ओ. दिनांक 17.6.1965, प्रदर्श 3 तरमीम पर्चा, प्रदर्श 4 प्रमाणकन्न पर्चा, प्रदर्श–5 विक्रय पत्र 11.12.1962, प्रदर्श–6 जमाबन्दी सम्वत् 2010, प्रदर्श–7 गिरदावरी सम्वत् 2022 सेटलमेन्ट, प्रदर्श–8 गिरदावरी सम्वत् 2022, प्रदर्श–9 नक्शा सम्वत् 2064–65, –10 नामान्तरकरण सख्या 131, प्रदर्श–11 नामान्तरकरण सख्या 270, प्रदर्श–12 नामान्तरकरण सख्या 182, प्रदर्श–13 जमाबन्दी सम्वत् 2053, प्रदर्श–14 जमाबन्दी 2057–60, प्रदर्श–15 जमाबन्दी सम्वत् 2041, प्रदर्श–16 जमाबन्दी वर्ष 2006, प्रदर्श–17 जमाबन्दी सम्वत् 2049–52, प्रदर्श–18 जमाबन्दी सम्वत् 2045, प्रदर्श–19 बन्दी सम्वत् 2036, प्रदर्श–20 जमाबन्दी सम्वत् 2065–68, प्रदर्श–21 जमाबन्दी सम्वत् 2061–64 प्रस्तुत किये गये।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत गवाहान एवं दस्तावेजी साक्ष्य ने वादीगण के अभिवचनो की पूर्णतया ताईद की है ।

उपरोक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के पष्चात वादी ने अपनी साक्ष्य समाप्त की जिस पर साक्ष्य वादी बन्द की गई एवं सरकार की और से उक्त वाद में हित निहित नहीं होना अंकित किया जाने के कारण पत्रावली को अन्तिम बहस हेतू नियत किया गया, वकील वादी की बहस सुनी गई। दिनांक 22.09.2016 ना पत्र शीघ्र सुनवाई का पेश करने पर पुनः मजीद बहस सुनी गई। न्यायालय द्वारा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

किया गया। वकील वादी को सुना गया न्यायालय के समक्ष यह स्वीकृत स्थिति है कि उपरोक्त ... है जिसमे 1/3 हिस्सा स्व. उत्तमाराम के परिवार का है जिसके वर्तमान हिस्सेदार वादीगण है और 1/3 हिस्सा स्व. गोपालराम के परिवार ... कुशली बैवाह अन्नाराम का रहा है, वादीगण के पूर्वज स्व. उत्तमाराम के दो लड़के स्व. लालूराम उर्फ लादूराम व स्व. कानाराम हुवे जिनमे से ... कन्नीराम अविवाहित लाऔलाद फौत हो चुके है तथा स्व. लालूराम के दो लड़के स्व. मदनलाल उर्फ मदनचन्द व स्व. मानाराम हुवे जिनमे से स्व. ... पत्नी श्रीमती जीवणी देवी का स्वर्गवास भी बिना किसी वारिसान के निर्वसियती हो चुका है तथा वादीगण स्व. मदनलाल उर्फ मदनचन्द के ... इस प्रकार स्व. उत्तमाराम के 1/3 हिस्से की भूमि के मालिक एवं काबिज काश्तकार वादीगण है, वादीगण एवं उसके परिवार के 1/3 हिस्से की कब्जा ... खातेदारी की भूमि वर्तमान खेत खसरा नम्बर 219 रकबा 16 बीघा 8 बिश्वा व खसरा नम्बर 220 रकबा 19 बीघा 17 बिश्वा कुल 2 किता खेत कुल रकबा ... 5 बिश्वा रोही मौजा दडिबा की कृषि भूमि रही है एवं स्व. गोपालराम के वारिसान के कब्जा काश्त मे वर्तमान खसरा नम्बर 222 रकबा 6 बीघा 16 बिश्वा नम्बर 223 रकबा 3 बीघा 5 बिश्वा व खसरा नम्बर 224 रकबा 8 बीघा 10 बिश्वा व खसरा नम्बर 225 रकबा 18 बीघा 17 बिश्वा कुल 4 किता खेत कुल रकबा ... 8 बिश्वा की भूमि रही है एवं स्व. कुशली बैवाह अन्नाराम के कब्जा काश्त का खेत खसरा नम्बर 221 रकबा 38 बीघा 15 बिश्वा की भूमि रही है, उक्त श्रीमती ... बैवाह अन्नाराम के स्वर्गवास के पश्चात उसके परिवार मे एकमात्र वारिस उसकी पुत्र वधु आसी बैवाह चुन्नीलाल जात ब्राह्मण (दायमा) साकिन बीदासर रही है ... आसी ने अपनी सास श्रीमती कुशली बैवाह अन्नाराम के हिस्से पांति एवं कब्जा काश्त के खेत साबिका खसरा नम्बर 1256 रकबा 112 बीघा 8 बिश्वा की भूमि मे वर्तमान खसरा नम्बर 221 रकबा 38 बीघा 15 बिश्वा की भूमि का एक पंजीकृत बैनामा संख्या 641 दिनांक 11.12.1962 को कार्यालय सब रजिस्ट्रार सुजानगढ़ के ... पक्ष जगन्नाथ, लक्ष्मीनारायण, सीताराम, सालीगराम पि. चुन्नीलाल व शंकरलाल दत्तक पुत्र सोहनलाल जात महेश्वरी (लोहिया) साकिन दडिबा के पक्ष मे निष्पादित कर उक्त आराजी का बैचान कर दिया, उक्त खेत खसरा नम्बर 221 रकबा 38 बीघा 15 बिश्वा रोही मौजा दडिबा की भूमि क्रय करने के पश्चात जगन्नाथ आदि लोहिया ने उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम से दर्ज करवाने के लिये एक प्रार्थना_पत्र दिनांकित 17.06.1965 को श्रीमान् ए.एस.ओ. साहब सुजानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया जिसकी मिसल नम्बर 538 दिनांकित 17.06.1965 कायम की गई एवं उक्त मिसल पर नोट अंकित किया गया कि कुशली मर गई उसकी बहू मुस्मात आसी उपस्थित है और खसरा नम्बर 221 विक्रय करके रजिस्ट्री करा कर कब्जा दे चूकी है मौतवीर तस्दीक करते है उक्त खेत खसरा नम्बर 221 रकबा 38 बीघा 15 बिश्वा को प्रार्थियो के हि.ब.दर्ज हो अमल दरामद किया जावे, इस प्रकार से उक्त स्व. कुशली बैवाह अन्नाराम उर्फ उमाराम का हिस्सा उसकी पुत्र वधू आसी बैवाह चुन्नीलाल द्वारा रजिस्ट्री बैचान के माध्यम से जगन्नाथ आदि लोहिया को वर्तमान खसरा नम्बर 221 विक्रय किया जा चुका था एवं उक्त वादगत खसराजात से उक्त श्रीमती कुशली का नाम हटाया जाकर केतागण जगन्नाथ आदि के नाम से उक्त खसरे की खातेदारी दर्ज की जानी चाहिये थी परन्तु राजस्व कर्मचारियो की भूलवंश जब दिनांक 25.08.1966 को तरमीम पर्चा तैयार किया गया तब कुशली के बजाय मानाराम का नाम खारिज करके जगन्नाथ आदि का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये जो कि गलत एवं अवैध अंकन था इस कारण वादगत खेतो की खातेदारी से खसरा नम्बर 221 को हटाकर उक्त जगन्नाथ आदि के नाम दर्ज कर दिया गया परन्तु शेष खसराजात की भूमि की खातेदारी मे कुशली बैवाह अन्नाराम उर्फ उमाराम का नाम गलती से चलता रहा है जिसका ज्ञान वादीगण को नही हो सका, इस प्रकार से वर्तमान खेत खसरा नम्बर 219 रकबा 16 बीघा 8 बिश्वा व खसरा नम्बर 220 रकबा 19 बीघा 17 बिश्वा व खसरा नम्बर 222 रकबा 6 बीघा 16 बिश्वा खसरा नम्बर 223 रकबा 3 बीघा 5 बिश्वा व खसरा नम्बर 224 रकबा 8 बीघा 10 बिश्वा व खसरा नम्बर 225 रकबा 18–17 बीघा कुल 6 किता खेत कुल रकबा 73–13 बीघा की खातेदारी मे कुशली बैवाह अन्नाराम उर्फ उमाराम का नाम गलत दर्ज है उक्त अंकन प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है जिसको हटाया जाकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड को दूरूस्त करवाने की घोषणा करवाने के वादीगण अधिकारी है तथा स्वर्गीय कानाराम उर्फ कन्नीराम पुत्र उत्तमाराम व जीवणी बैवाह मानाराम की मृत्यु के पश्चात वादगत खेतो की खातेदारी मे वादीगण का 1/2 हिस्सा कायम किया जाकर 36 बीघा 16.5 बिश्वा भूमि की खातेदारी वादीगण अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है व वर्तमान खातेदारी मे 1/2 हिस्सा वादीगण का 1/2 हिस्सा स्वर्गीय गोपालराम के वारिसान का है, इस सम्बन्ध में जो अभिवचन वादीगण द्वारा किये गये है उस पर कोई विरोध या आक्षेप इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है। न्यायालय के विनम्र न्यायिक मत में वादीगण द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों एवं साक्ष्य को नही मानने का कोई कारण पत्रावली पर नहीं है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से यह स्वीकृत स्थिति है कि वादगत खेतो के सम्बन्ध मे घोषणात्मक, रेकार्ड दुरुस्ती एवं विभाजन व चिर निशेधाज्ञा के अनुतोशो के लिये वादीगण ने अपना दावा बखुबी साबित किया इस प्रकार वादगत खसराजात के सम्बन्ध मे दावा वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीदासर जिला चूरू

खसरा नम्बर 219 रकबा 16–08 बीघा व खसरा नम्बर 220 रकबा 19–17 बीघा व खसरा नम्बर 222 रकबा
224 रकबा 8–10 बीघा व खसरा नम्बर 225 रकबा 18–17 बीघा कुल 6 किता खेत कुल रकबा 73–13 बीघा रोही मौजा
की वर्तमान खातेदारी मे मु. कुशली बैवाह अन्नाराम का नाम गलत दर्ज होने से उक्त कुशली का नाम वादगत खेतो के वर्तमान राजस्व रेकार्ड
जाता है। जीवणी देवी धर्मपत्नी स्व0 मानाराम का हिस्सा लाऔलाद निर्वसीयती फौत हो जाने से हजफ किया जाता है। वादगत खेतो की वर्तमान
बैवा अन्ना का हिस्सा 1/6 व जीवणी देवी धर्मपत्नी स्व0 मानाराम का हिस्सा 1/6 को वर्तमान रेकॉर्ड में दुरूस्त किया जाकर वादीगण जिनका
1/6 है, के साथ शामिल करते हुए 1/2 हिस्सा के रुप मे वादीगण अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है, निर्णय की अनुपालना मे वादगत
राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जाकर वादगत खेतो की वर्तमान खातेदारी मे 1/2 हिस्सेदार के रुप मे वादीगण का नाम दर्ज किये जाने के ओदश
वादीगण का 1/2 हिस्से के रूप में समस्त खसरों में 36–16 बीघा बनता है। जबकि वादीगण का वर्तमान वास्तविक कब्जा खसरा नम्बर 219 रकबा
व खसरा नम्बर 220 रकबा 19–17 बीघा रोही मौजा दडीबा तह. बीदासर कुल 02 किता खेत कुल रकबा 36–05 बीघा पर ही है, के अनुसार जमाबन्दी
के आदेश दिये जाते है। शेष रहे रकबे में वर्तमान जमाबन्दी में वर्णित हिस्सा कसी यथावत रखने के आदेश दिये जाते है।

उपरोक्त वर्णित खसराजात की भूमि का विभाजन किया जाकर वादगत खेत खसरा नम्बर 219 रकबा 16–08 बीघा व खसरा नम्बर 220 रकबा
रोही मौजा दडिबा तहसील बीदासर कुल 2 किता खेत कुल रकबा 36–05 बीघा की खातेदारी वादीगण के नाम से अलग दर्ज की जाकर अलग लगान
जाने बाबत आदेश दिये जाते है।

चिर निशेधाज्ञा के अनुतोश के लिए दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 45 के विरूद्ध
धाज्ञा की डिक्री इस कदर जारी की जाती है की उक्त प्रतिवादीगण वादगत खेत खसरा नम्बर 219 रकबा 16–08 बीघा व खसरा नम्बर 220 रकबा 19–17
2 किता खेत कुल रकबा 36–05 बीघा रोही मौजा दडिबा तहसील बीदासर से वादीगण को जबरन बेदखल नही करे, कब्जा–काश्त, उपयोग–उपभोग मे
ही करे, वादीगण को प्रवेश करने, काश्त करने से रोके नही स्वयं प्रवेश नही करे, विक्रय, बंधक, हस्तांतरण नही करे एवं ऐसा कोई कृत्य नही करे जिससे
के हितो पर किसी भी प्रकार से विपरीत असर पड़े। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2016 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी बीदासर।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)